राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 615/2007

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपने क्षेत्रीय प्रबंधक, जयपुर के माध्यम से

----अपीलार्थी/प्रत्यर्थी

बनाम

1. श्रीमती मोहिनी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री गोपी राम, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम राजलिया तहसील नावा, जिला नागौर।

2. कुमारी कमला पुत्री स्वर्गीय गोपी राम, उम्र 10 वर्ष, उनके प्राकृतिक संरक्षक एवं माता श्रीमती भूरी, निवासी ग्राम राजलिया तहसील नावा, जिला नागौर माध्यम से।

3. रिछपाल पुत्र स्वर्गीय गोपी राम, उम्र 15 वर्ष, अपने प्राकृतिक अभिभावक और माँ श्रीमती भूरी, निवासी ग्राम राजलिया तहसील नावा, जिला नागौर के माध्यम से।

4. राजू पुत्र स्वर्गीय गोपी राम, उम्र 17 वर्ष, अपने प्राकृतिक अभिभावक और माँ श्रीमती भूरी, निवासी ग्राम राजलिया तहसील नावा, जिला नागौर के माध्यम से।

5. डालू पत्नी स्वर्गीय श्री हुकमा राम, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम राजलिया तहसील नावा, जिला नागौर।

----दावेदारों/प्रत्यर्थीगण

6. मंगल चंद पुत्र श्री श्योलाल आलिया श्योनाथ, निवासी 7, विजयपथ, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर वर्तमान में निवासी वार्ड संख्या 4, जलपड़ी रोड, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर-मालिक।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री राम सिंह भाटी वीसी के माध्यम से।

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री भानु प्रकाश वर्मा वीसी के माध्यम से।

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>निर्णय</u>

<u>12/01/2022</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

वर्तमान नागरिक विविध अपील केस संख्या डब्ल्यू.सी.सी.एफ 4/04 में विद्वान आयुक्त कामगार मुआवजा न्यायालय, जिला जयपुर, जयपुर [संक्षेप में 'विद्वान आयुक्त'] द्वारा पारित निर्णय और पंचाट दिनांक 01.11.2006 के विरूद्ध निर्देशित, जिसके द्वारा दावेदारों-प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर दावा याचिका की अनुमति दी गई है और अपीलार्थी-बीमा कंपनी को 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ रुपये 3,38,880/- का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।

इस अपील में मुद्दा यह है कि "क्या श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत अपील कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के बिना सुनवाई योग्य है?"

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि गोपीराम नामक व्यक्ति प्रत्यर्थी संख्या 6-मंगल चंद के यहां कार्यरत था, जब वह 08.04.2003 को ट्रक संख्या आरजे-14-जी-8726 पर क्लीनर के रूप में काम कर रहा था, उसे 08.04.2003 को उनकी ड्यूटी के दौरान चोटें आईं। इसके बाद उन्हें एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 14.04.2003 को उनकी मृत्यु हो गई। दावेदारों-प्रत्यर्थीगण ने गोपीराम की मृत्यु के कारण हुए नुकसान के कारण ब्याज और जुर्माने के साथ 3,38,888/- रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए विद्वान श्रमिक-आयुक्त के समक्ष दावा याचिका दायर की।

प्रत्यर्थी संख्या 6-मंगल चंद, वाहन के मालिक ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया और मृतक के उसके साथ रोजगार के तथ्य को स्वीकार किया और यह भी स्वीकार किया कि मृतक को 4,000/- रुपये का मासिक वेतन मिल रहा था और आगे कहा गया कि चूंकि वाहन का बीमा "द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड" से किया गया था, अतः, बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया और दावा याचिका में दिए गए कथनों से इनकार किया और एक आपत्ति की कि श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 (संक्षेप में '1923 का अधिनियम') की धारा 10 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था और इस बात से भी इनकार किया कि मृतक वाहन मालिक मंगल चंद के अधीन काम कर

रहा था।

विद्वान आयुक्त ने दिनांक 01.11.2006 के निर्णय और पंचाट द्वारा, दावा याचिका की अनुमति दी और दावेदारों-प्रत्यर्थीगण को 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ 3,38,880/- रुपये रुपये का मुआवजा देने का निर्णय दिया।

विद्वान आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 01.11.2006 के आक्षेपित निर्णय और पंचाट से व्यथित महसूस करते हुए, अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने इस अपील के ज्ञापन में कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना 1923 के अधिनियम की धारा 30 के तहत अपील दायर की।

अपीलार्थी-बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतक वाहन मालिक के रोजगार के तहत काम नहीं कर रहा था, अतः, मृतक श्रमिक नहीं था और दावेदार किसी भी मुआवजे की राशि पाने का पात्र नहीं हैं।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण-दावेदारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 1923 के अधिनियम की धारा 30 के तहत दायर वर्तमान अपील सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः, तत्काल अपील केवल इसी आधार पर अपास्त की जा सकती है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

1923 के अधिनियम की धारा 30 से जुड़े परंतुक के अवलोकन से संकेत मिलता है कि विद्वान आयुक्त द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जाएगी जब तक कि अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल न हो।

यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि क्या कर्मचारी किसी दुर्घटना का शिकार हुआ, क्या दुर्घटना रोजगार के दौरान हुई, दुर्घटना कैसे हुई और किस तरह से दुर्घटना हुई, कौन लापरवाह था, यह प्रश्न उठता है। दुर्घटना कारित करने में, क्या कर्मचारी और नियोक्ता के बीच कोई संबंध था, कर्मचारी की आयु और मासिक वेतन क्या था, मृत कर्मचारी के आश्रितों की संख्या क्या है, दुर्घटना में लगी चोटों के कारण कर्मचारी की विकलांगता की सीमा क्या थी, क्या नियोक्ता द्वारा घटना को कवर करने के लिए कोई बीमा कवरेज प्राप्त किया गया था आदि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो दावा याचिका में आयुक्त के उचित निर्णय के लिए तब उठते हैं जब किसी कर्मचारी को कोई शारीरिक चोट

लगती है या दुर्घटना के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका रोजगार और वह/उसके विधिक प्रतिनिधि इस अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए अपने नियोक्ता पर मुकदमा करते हैं। उपर्युक्त प्रश्न मूलतः तथ्यात्मक प्रश्न हैं और अतः, उन्हें साक्ष्य की सहायता से सिद्ध करना आवश्यक है। एक बार जब वे किसी भी तरह से सिद्ध हो जाते हैं, तो उस पर दर्ज निष्कर्षों को तथ्य के निष्कर्ष के रूप में माना जाता है।

आयुक्त द्वारा पारित निर्णय और पंचाट के विरूद्ध उच्च न्यायालय में 1923 के अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रदान की गई अपील केवल 1923 के अधिनियम की धारा 30 के खंड (क) से (ङ) में निर्धारित विशिष्ट आदेशों के विरूद्ध होगी। धारा के पहले परंतुक में एक और शर्त शामिल है कि अपील में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होना चाहिए।

दूसरे शब्दों में, आयुक्त के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में 1923 के अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रदान की गई अपील नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के समान एक नियमित अपील की तरह नहीं है, जिसे तथ्यों के आधार पर सुना जा सकता है और कानून अपील पर निर्णय लेने का उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल मामले में उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जांच करने तक ही सीमित है।

ऐसी अपील को अनुमति देने के प्रश्न पर यह पता लगाने के लिए सुना जाता है कि क्या इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है या नहीं। अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी जांच की आवश्यकता होती है। यदि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, तो उच्च न्यायालय योग्यता के आधार पर अपील को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेगा अन्यथा इसे इस कारण से अपास्त कर देगा कि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है।

यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *रामसखी देवी बनाम छत्रा देवी जेटी 2005 (6) एससी 167* में *प्रकाशित मामले में अभिनिर्धारित किया गया* कि कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना, अपील को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

गोल्लाराजन्ना और अन्य बनाम मंडल प्रबंधक और अन्य ने 2017(1) एससीसी 45

और उत्तर पूर्व कर्नाटक परिवहन निगम बनाम सुजाता ने 2019(11) एससीसी 514 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है कि श्रमिक मुआवजा आयुक्त द्वारा पारित पंचाट के विरूद्ध दायर अपील सुनवाई योग्य नहीं है यदि कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें नहीं है।

अतः, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के अभाव में श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

अब इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, मुझे लगता है कि यह अपील अपीलार्थी-बीमा कंपनी द्वारा अपील के ज्ञापन में भौतिक मुद्दों पर कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना दायर की गई है।

इस प्रकार, मामले को ध्यान में रखते हुए और विद्वान आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को देखते हुए, मुझे विद्वान आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों पर किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं मिलता है। चूंकि, अपील के ज्ञापन में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया गया है, अतः, 1923 के अधिनियम की धारा 30 से जुड़े परंतुक के मद्देनजर यह अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

परिणामस्वरूप, तत्काल अपील के साथ-साथ स्थगन आवेदन भी अपास्त कर दिया जाता है।

सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी अपास्त किये जाते हैं।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

Ritu/1

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।